सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 21(4) का संशोधन ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) को संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका संपूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-21(4) का संशोधन ।-

(i) द्वितीय परन्तुक में "65 वर्ष" के स्थान पर "68 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जायगा ।

(ii) धारा 21 (4) के द्वितीय परन्तुक के बाद तीन नये परन्तुक जोड़े जायेंगे -

परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष कीआयु प्राप्त न कर ली हो,
परन्तु कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा,
परन्तु यह कि कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।-

(1) झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (झारखण्ड अध्यादेश, 01, 2008) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

यह विधेयक झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 39--50--24-9-2008--शनि मुण्डा ।